हिन्दी में कार्य करना हमारी बाध्यता क्यों ?

- मनोज कुमार सिंह
वरीय कार्यपालक अभियंता(आई.ई.)
एन.सी.एल., सिंगरौली(म.प्र.)

प्रस्तावना

भाषा संस्कृति की द्वार होती है । किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का परिचय उसके नागरिकों द्वारा व्यवहार में लायी जाने वाली भाषा से होता है । इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है । भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ बहुत सारी भाषायें बोली और समझी जाती है । ये भाषायें विविधता में एकता का प्रतीक है । इन सभी भाषाओं में हिन्दी का अपना विशिष्ट स्थान है क्योंकि यह सरल, सहज एवं सर्वग्राह्य भाषा है । यह पूरे देश को एक सूत्र में बाँधने का कार्य करती है । हिन्दी की इसी विशिष्टता के कारण हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था ।

हिन्दी को संविधान में संघ की राजभाषा की मान्यता दी जाने के बावजूद, केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत इसे उक्त प्रयोजन से पूर्वर्ती विदेशी शासक द्वारा प्रयुक्त अंग्रेजी माध्यम की जगह वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सका । इसके पीछे सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक आदि अनेक कारण हो सकते हैं, परन्तु जो सबसे बड़ा कारण रहा है, वह है राजभाषा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए कानूनी एवं नैतिक समर्थन का अभाव । यह एक विचित्र बात है कि जहाँ संविधान के अन्य अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए समुचित कानूनी समर्थन की व्यवस्था की गई है और उनके उल्लंघन करने वालों को समुचित दण्ड देने के प्रावधान किए गए, राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम इस संघीय राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को पहल देने के प्रयास की मात्र प्रेरणा और प्रोत्साहन का हथियार हाथों में थमा इस कार्य में लगे मुठ्ठी भर राजभाषा से सम्बद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया है ।

राजभाषा के संदर्भ में प्रमुख घटनाक्रम

- **14 सितम्बर 1949** : संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया ।
- **26 जनवरी 1950** : संविधान लागू हुआ ।
- **जुलाई 1955** : हिन्दी शिक्षण योजना की स्थापना ।
- **07 जून 1955** : बी. जी. खेर आयोग का गठन ।
- **31 जुलाई 1956** : बी. जी. खेर आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई ।
- **8 फरवरी 1959** : संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई ।
- **27 अप्रैल 1960** : राष्ट्रपति के आदेश 1960 जारी किए गए ।
- **10 मई 1963** : राजभाषा अधिनियम बनाये गए ।
- **16 दिसम्बर 1967** : संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया ।
- **1967** : सिंधी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई ।
- **08 जनवरी 1968** : राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किए गए ।
- **01 जनवरी 1971** : केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया ।
- **1976** : राजभाषा नियम बनाये गए ।
- **21 अगस्त 1985** : केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया ।
- **1986-87** : इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार प्रारम्भ किए गए ।
- **09 अक्टूबर 1987** : राजभाषा नियम 1976 में संशोधन किए गए ।
- **1992** : कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषायें संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई ।
- **14 सितम्बर 1999** : संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती मानाई गई ।
- **08 जनवरी 2004** : बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा गया ।

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है । अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है । इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया । इस अधिनियम का 1967 में संशोधन किया । इसी क्रम में सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी जनवरी 1968 में पारित किया गया । इस प्रकार राजभाषा अधिनियम 1963 पारित होने के बाद संघ के सरकारी कामकाज में एक द्विभाषिक स्थिति शुरू हुई । भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 349 और 359 (भाग-5(120), भाग-6(210) एवं भाग-17) में राजभाषा के संबंध में बताया गया है । इन अनुच्छेदों का मुख्य अंश नीचे दिया गया है :

अनुच्छेद 120 - संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।

अनुच्छेद 210 - संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य विधानमण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा या राज्यभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।

अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा

खण्ड(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
खण्ड(2) इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था ।
परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।
खण्ड(3) संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जायें ।

अनुच्छेद 344 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

खण्ड(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ के 5 वर्ष की समाप्ति पर तत्पश्चात ऐसे प्रारम्भ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलाकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी ।
खण्ड(4) एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से 20 लोक सभा के सदस्य होंगे ओर 10 राज्य सभा के सदस्य होंगे ।

अनुच्छेद 345 - राज्य की राजभाषा या राजभाषायें

किसी राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के प्ररूप में अंगीकार कर सकेगा ।

अनुच्छेद 346 - एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की राजभाषा होगी ।

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

अनुच्छेद 347 - किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाये तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाये ।

अनुच्छेद 348 - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

खण्ड(1) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक -

(क) उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी ।

(ख) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपबंधों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

अनुच्छेद 349 - भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खण्ड(1) मे उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने का कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मँजूरी के बिना पुन:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 350 - व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा ।

अनुच्छेद 350(क) - प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधायें

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद 350(ख) - भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

खण्ड(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ।

अनुच्छेद 351 - हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि करे ।

आठवीं अनुसूची

संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषायें अधिसूचित हैं :

(1) असमिया	**(2) बंगला**	**(3) बोडो**	**(4) डोगरी**	**(5) गुजराती**	**(6) हिन्दी**
(7) कन्नड़	**(8) कश्मीरी**	**(9) कोंकणी**	**(10) मैथिली**	**(11) मलयालम**	**(12) मणिपुरी**
(13) मराठी	**(14) नेपाली**	**(15) उड़िया**	**(16) पंजाबी**	**(17) संस्कृत**	**(18) संथाली**
(19) सिंधी	**(20) तमिल**	**(21) तेलुगू**	**(22) उर्दू**		

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967

राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में पारित किया गया और वर्ष 1967 में इसमें कुछ संशोधन किए गए । आज यह राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 कहलाता है । यह अधिनियम सारे भारत पर लागू है । लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होंगे ।

(1) अधिनियम की धारा (3) के अनुसार
(क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए 26 जनवरी 1965 से तत्काल पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और
(ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा ।
(2) केन्द्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा बशर्ते उस राज्य ने इसके लिए हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो ।
(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्राचार के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है ।

(4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित 14 कागज-पत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग अनिवार्य है :

1.संकल्प 2.सामान्य आदेश 3.नियम 4.अधिसूचनायें 5.प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें 6. प्रेस विज्ञप्तियाँ 7.संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें 8.सरकारी कागज पत्र 9.संविदायें 10.करार 11.अनुज्ञप्तिया 12. अनुज्ञयापत्र 13.टेण्डर नोटिस और 14.टेण्डर फार्म ।

राजभाषा संकल्प 1968

16 दिसम्बर 1967 को संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प पारित किया गया । राजभाषा संकल्प की प्रमुख बातें नीचे दी गई है ।
इसमें

- हिन्दी के राजकीय प्रयोजनों हेतु उत्तरोतर प्रयोग के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने
- प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने
- हिन्दी के साथ आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने
- त्रिभाषा सूत्र का अपनाया जाने
- संघ सेवाओं के लिए भर्ती के समय हिन्दी व अंग्रेजी में से किसी एक के ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षित होने तथा
- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समय पर परीक्षा के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने

की बात कही गई है ।

यह संकल्प राजभाषा संकल्प 1968 के नाम से जाना जाता है । इस संकल्प को 18 अगस्त 1968 को प्रकाशित किया गया था । राजभाषा संकल्प 1968 का मूल अंश इस प्रकार है :

जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, संघ का कर्तव्य है ।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोतर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

की प्रगति का विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन संसद के दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी ।.....

राजभाषा नियम 1976 एवं राजभाषा (संशोधन) नियम 1987

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा (8) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाये । राजभाषा नियम 1976 का संशोधन वर्ष 1987 में किया गया । इस संशोधन के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी केन्द्र सरकार के कार्यालय की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है । यह नियम तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर लागू हैं ।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को क, ख एवं ग तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । क, ख एवं ग क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं :

क क्षेत्र : बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

ख क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ।

ग क्षेत्र : जम्मू और कश्मीर, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक, केरल, गोआ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरूनाचलप्रदेश राज्य तथा लक्ष्यद्वीप द्वीप समूह, पांडिचेरी, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।

राजभाषा नियम 1976 के प्रमुख प्रावधान : राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम दिए गए हैं और उनमें दी गई प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :

नियम (1) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से **क क्षेत्र** के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजा जाने वाला पत्र आदि हिन्दी में होंगे । अगर किसी खास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा ।

नियम (2) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से **ख क्षेत्र** के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को पत्र आदि सामान्यत: हिन्दी में भेजे जायेंगे । यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा । इस क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जाने वाल पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में हो सकता है ।

नियम (3) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से **ग क्षेत्र** के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जायेंगे । अगर ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा ।

नियम (4) केन्द्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग से दूसरे विभाग के बीच पत्राचार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है ।

नियम (5) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर - हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जायेंगे । हिन्दी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षरित किए गए आवेदनों या अभिवेदनों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जायेंगे ।

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

नियम (6) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग - राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी ।

नियम (7) आवेदन, अभ्यावेदन आदि -केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है ।

नियम (8) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी फाईलों में हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में टिप्पणी या मसौदा लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी लिखे ।

नियम (9) हिन्दी में प्रवीणता - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है यदि

(क) उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी कोई समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हो

अथवा

(ख) स्नातक में या स्नातक समतुल्य या उससे ऊँची किसी परीक्षा में हिन्दी उसका एक वैकल्पिक विषय था

अथवा

(ग) वह यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है ।

नियम (10) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है यदि

(क) उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे ऊँची परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो

अथवा

(ख) वह यह घोषित करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

नियम (11) मैनुअल, संहितायें, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि - केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों से संबंधित मैनुअल, संहितायें और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जायेंगे । सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी की अन्य मदें भी हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में होंगे तथा प्रत्येक स्थान पर हिन्दी पहले और अंग्रेजी बाद में होंगी ।

नियम (12) अनुपालन का उत्तरदायित्व - प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह

(1) यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन किया जाता है और

(2) इसके लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच-पड़ताल की व्यवस्था करें ।

राष्ट्रपति के आदेश

राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किए गए । हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति के आदेशों में मँजूर किए गए महत्त्वपूर्ण बातें नीचे दी गई हैं :

राष्ट्रपति का आदेश 1952

- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग ।
- भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त देवनागरी स्वरूप का राजकीय प्रयोजनों हेतु प्रयोग ।

राष्ट्रपति का आदेश 1955

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!

- प्रशासनिक रिपोर्ट आदि के लिए हिन्दी का प्रयोग ।
- जनता के साथ पत्र व्यवहार में हिन्दी ।
- सरकारी संकल्प, विधायी अधिनियम आदि के लिए हिन्दी का प्रयोग ।

राष्ट्रपति का आदेश 1960

- संसदीय राजभाषा समिति का गठन ।

निष्कर्ष

आज वैश्वीकृत और उदारीकृत अर्थव्यवस्था ने भाषाओं का महत्व उजागर कर दिया है । हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है । इसलिए भारत को जानने-समझने वालों के अलावा आज व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के लोग भी हिन्दी सीख रहें हैं । अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी से उबरने के लिए ज्ञान का प्रसार आज की अहम् जरूरत है । ज्ञान ही अंततोगत्वा धन-दौलत में बदलता है । अंतराष्ट्रीय स्तर पर वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को भावात्मक अखण्डता के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए 13 से 15 जुलाई 2007 के दौरान 8वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका विषय विश्व मंच पर हिन्दी था । विश्व में हिन्दी भाषा की लोकप्रियता और महत्व पर प्रकाश डालने के लिए इस सम्मेलन ने हिन्दी भाषा की सारगर्भिता और सृजनात्मकता को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है ।

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!